STN-01/2018 शासन वि. विजय यादव

Witness No. .....10..... for .....अभि.सा..... Deposition taken the .....06.10.2018.....day of शनिवार Witness's apparent age .... 50 वर्ष..... States on affirmation शपथ पूर्वक my name is .....धासूराम साहू..... Son of.....श्री सावचरण साहू..... occupation यवसाय/न्यूज पेपर एजेंसी address.वार्ड क्रं.10, पानी टंकी के पास उपर पारा, अभनपुर, थाना–अभनपुर जिला–रायपुर छ0ग0 .

1/ मैं अरोपी विजय यादव का जानता हूं। मैं गीता यादव को भी जनता हूं वह मेरी पडोसी है, मैं रमा यादव को भी जानता हूं, गीता यादव की पुत्री रमा यादव है, रमा यादव की मृत्यु हो चुकी है, रमा यादव का विवाह समाजिक रीति–रिवाज से आरोपी विजय यादव से हुआ था।

2/ सितंबर 2017 में गीता यादव मेरे घर आकर मेरी पत्नी को बतायी कि मेरा दामाद आरोपी विजय घर आया था और बताया कि रमा का तबीयत खराब है और खुन से लथपथ है, वह पेट से भी है, उसे अस्पताल ले जाना पडेगा, मेरे साथ चलो, तब मैं अपनी पत्नी के कहने पर गीता यादव के साथ आरोपी विजय यादव के घर गया तो जाकर देखा कि रमा यादव घर के अंदर खून से लथपथ पडी हुई है और मोहल्ले के कुछ लोग तथा विजय यादव वहीं पर था, रमा के सिर से खून निकल रहा था, उजाला होने पर देखे कि वहां पर सील का पत्थर पडा था, मैने विजय के घर के बाहर आकर पुलिस थाना अभनपुर में फोन किया था, थाने से यह सूचना मिली थी कि उन्हें पार्षद द्वारा घटना की सूचना दी जा चुकी है वे लोग थाने से निकल रहे हैं, कुछ देर बाद पुलिस वाले घटनास्थल पर आये थे।

3/ पुलिस वाले मौके का मुआयना किये और तहसीलदार भी घटनास्थल पर आयी थी और शव का पंचनामा बनाये जाने हेतु मुझे नोटिस प्रपी.05 दिया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, तत्पश्चात मृतिका रमा यादव के शव का पंचनामा प्रपी.06 तैयार किया गया जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस वाले मौके का पंचनामा तैयार किये थे जो प्रपी.04 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस वाले घटनास्थल से एक पत्थर और डंडा को जप्त कर जप्तीपत्र तैयार किये थे जो प्रपी.18 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

4/ पुलिस वाले मेरे समक्ष घटना के दूसरे दिन घटना के संबंध में किसी से पूछताछ नहीं किये थे, गवाह को मेमोरेंडम कथन प्रपी.19 दिखाकर पूछे जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। पुलिस वाले मेरे समक्ष घटना के दूसरे दिन किसी से

कोई सामान जप्त नहीं किये थे, गवाह को जप्तीपत्र प्रपी.20 दिखाकर पूछे जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। पुलिस वाले पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।

नोटः– इस स्तर पर अपर लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को अपने पुलिस कथन एवं दस्तावेजों का आंशिक समर्थन नहीं करना व्यक्त करते हुए प्रतिकुल साक्षी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, विचारबाद अनुमति दी गयी।

5/ यह कहना सही है कि घटना 07.09.2017 की है।

प्रश्नः– दिनांक 08.09.2017 को विजय यादव ने पुलिस को बताया था कि घटना के समय पहने खुन लगे फुलपैठ एवं गमछा को अपने घर में छिपाकर रखा है चलो बरामद करवा देता हूं ?

उत्तरः– आरोपी विजय यादव ने दिनांक 07.09.2017 को ही पुलिस को घटना के समय पहने खुन लगे फुलपैंठ और गमछा को अपने घर में रखना बताया था जहां से निकालकर देने पर पुलिस ने उसे जप्त किया था, दिनांक 08.09.2017 को विजय ने मेरे सामने पुलिस को कुछ नहीं बताया था।

6/ यह कहना गलत है कि विजय ने 08.09.2017 को पुलिस को गमछा और फुलपैंठ अपने घर मे रखना बताया था, यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने मेरे सामने सील पत्थर और डंडा के साथ घटनास्थल से सादी मिट्टी और खुन लगे मिट्टी को जप्त किया था।

<u>प्रतिपरीक्षण आरोपी द्वारा श्री मिश्रा अधिवक्ता</u>

7/ यह कहना सही है कि घटना के दूसरे दिन मैं थाने नहीं गया था अन्य किसी कार्यक्रम में चला गया था। यह कहना सही है कि घटना के दिन ही पुलिस वाले विजय को पकडकर थाना ले गये थे। यह कहना गलत है कि घटना के दिन पुलिस वालों ने मेरे समक्ष आरोपी विजय से कोई पूछताछ नही की थी बल्कि रमा के पिता से पूछताछ की थी। यह कहना सही है कि मेरी रमा के परिवार वालों से रिश्तेदारी है, स्वतः कहा कि दोनों परिवार से रिश्तेदारी है। यह कहना गलत है कि मेरे सामने पुलिस वालों ने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की और न ही आरोपी की निशानदेही पर उससे कोई सामान जप्त किया। यह कहना भी गलत है कि मेरे समाने पंचनामा एवं अन्य जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(जितेन्द्र कुमार जैन)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–
(जितेन्द्र कुमार जैन)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)